पत्र संख्या–आई0टी0 अनुभाग/2022–23/ 634/2223036 /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 02 अगस्त, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड–1/
अपर आयुक्त ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः राज्य कर विभाग द्वारा विकसित आई0टी0 टूल्स/मॉड्यूल्स के प्रयोग एवं परिणाम आधारित समीक्षा के सम्बन्ध में।

जी0एस0टी0 की कर प्रणाली में पंजीकृत करदाताओं द्वारा सभी विवरण कॉमन पोर्टल पर ऑन लाइन दाखिल किए जा रहे हैं। जी0एस0टी0एन0 से प्राप्त डाटा के आधार पर आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा फील्ड में कार्यरत अधिकारियों के कार्यों में सुगमता एवं पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के आई0टी0 टूल्स एवं मॉड्यूल्स विकसित करते हुए उपलब्ध कराये गये हैं, जो विभागीय वेबसाइट की एमआईएस पर उपलब्ध हैं।

पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) के साथ नियमानुसार ऑडिट रिपोर्ट (GSTR-9C) में कर एवं आई0टी0सी0 की अतिरिक्त देयता सम्बन्धी उपलब्ध डाटा के आधार पर आई0टी0 अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा एमआईएस रिपोर्ट में Additional liability in 9C की एक नई रिपोर्ट विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त जिन पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है, उनके द्वारा ई–वे बिल पोर्टल पर घोषित इनवर्ड आपूर्ति एवं GSTR-3B में घोषित कर योग्य आउटवर्ड आपूर्ति में अन्तर के आधार पर Liability of Cancelled GSTIN की भी एक नई रिपोर्ट विकसित की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध आई0टी0 टूल्स/मॉड्यूल्स के साथ–साथ उक्त दोनों विकसित मॉड्यूल्स पर उपलब्ध सूचना का प्रयोग करते हुए अपेक्षित कृत कार्यवाही का विवरण सम्बन्धित इण्ट्री मॉड्यूल में करना सुनिश्चित करें। कैम्प कार्यालय के पत्र संख्या–89 दिनांक 25.07.2022 से मुख्यालय स्तर से साप्ताहिक समीक्षा बैठकों के एजेण्डा प्वाइंटस सूचित किए गए हैं। उक्त दोनों नए विकसित टूल्स/मॉड्यूल्स को भी साप्ताहिक समीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

2/8/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त
राज्य कर, उ0प्र0।